

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

पावल सिंह कौर

बनाम

उमय सिंह

क्र०/तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई कार्रवाई

अभिलेख सं०-एम.....124.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी
राई O.P. के अप्राथमिकी सं०-35/17 दिनांक-26/08/17 प्रस्तुत
पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि भूमि विवाद
को लेकर उमय पक्ष में विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति
क्षुब्ध होगी या उमय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे
जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं पावल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त
पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उमय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं०
की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उमय पक्ष/द्वितीय
पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष
तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक
हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि
दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 22/9/17 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

अभिलेख उपस्थापित। उमय पक्ष
उपस्थापित द्वितीय पक्ष अनुपस्थापित। दिनांक
13-10-17 को शर्त।

22-09-17

22/9/17

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निष्पादन हेतु 3 (तीन) माह का अवधि
कारण की कृपा करेंगे।

प्रथम पत्र के आवेदन की
अस्वीकृत किया जाता है। दिनांक 02-07-
18 को रखा।

f
22/6/18

02-07-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
दिनांक 02 उपस्थित अन्य अधिकता धारण
द्वितीय पत्र उपस्थित। उक्त वाद के
6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी
है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।
अतः वाद के अभिलेख की कारवाही
बंद की जाती है।

f
22/6/18